

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-51/2018/946 /दो-2-2018-28/2(22)/2018

लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2018

आदेश

- श्री शीतला प्रसाद यादव, पी0सी0एस0-2009 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-71590 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।
- 2- श्री शीतला प्रसाद यादव, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-20/मिलान डायरी-477/98060/111947 दिनांक 08-02-2018 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-18,86,467/- (रू0-अटठारह लाख छियासी हजार चार सौ सडसठ मात्र) जिसमें माह 3/2017 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-16,97,820.03/- अर्थात रू0-16,97,820.00/- (रूपये सोलह लाख सन्तानवे हजार आठ सौ बीस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री शीतला प्रसाद यादव के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री शीतला प्रसाद यादव पी0सी0एस0, तत्कालीन नगर मजिस्टेट, फिरोजाबाद के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद ।
- 4- श्री शीतला प्रसाद यादव, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-ग्राम व पोस्ट-छेछुआ, जिला-वाराणसी।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।